>

Title: Need to establish sentencing commission in India as in United States and United Kingdom.

भी अर्जुन राम मेघवान (बीकानेर): सभापति जी, भारत की न्यायशास्त्र पद्धित बहुत पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कानून को लागू करने वाली मशीनरी से जनता का विश्वास धीरे-धीर उठता जा रहा हैं। इसका मुख्य कारण अपराध के मामलों में बहुत कम लोगों को सजा होना हैं। किसी केस में कितनी सजा दी जाए, इसके लिए न्यायालयों को विवेक की शिक्तयां प्राप्त हैंं। सीआरपीसी में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जिसके कारण न्यायालय निर्णय करते समय बहुत सी विवेकीय शिक्तयों के तहत निर्णय करते हैं। एक ही तरह के केस में कई बार न्यायधीश एक साल की सजा दे देते हैं, कभी सात साल की सजा दे देते हैं और किसी को छोड़ देते हैंं। ऐसी परिस्थियां विश्व के अन्य देशों में भी आई। उन्होंने सैंटैंसिंग गाइडलाइन्स बनाई विशेष रूप से यूएस और यूके ने। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जैसे यूएस और यूके में सैंटैंसिंग कमीशन बनाया गया, ऐसी ही भारत में भी बनाया जाए जिससे जनता का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रह सके।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 18th of May, 2012 at 11 a.m.

19.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Friday, May 18, 2012/Vaisakha 28, 1934 (Saka).

- * The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Laid on the Table
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Speech was laid on the Table
- * English translation of the speech originally laid on the Table in Tamil.
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Not recorded
- * Not recorded.